न्यायालय उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 171/2022
जीसीएमएस न0 2022/406

1. मांगीलाल पिता नारायणजी जाति धाकड आयु वयरक निवासी कोचवा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

– प्रार्थी

बनाम

1. जगन्नाथजी पुत्र दल्ला जी जाति भील आयु वयस्क निवासी कोचवा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
2. नारायणी पुत्री दल्लाजी जी जाति भील आयु वयस्क निवासी कोचवा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
3. डाली पुत्री दल्लाजी जी जाति भील आयु वयस्क निवासी कोचवा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
4. बंशीलाल पुत्र दल्लाजी जी जाति भील आयु वयस्क निवासी कोचवा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
5. वरजी बेवा दल्लाजी जी जाति भील आयु वयस्क निवासी कोचवा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज० (नाम विलोपित)
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1– श्री नरेन्द्र वैष्णव – अधिवक्ता प्रार्थिया
2– श्री शम्भूलाल तेली – अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 से 4
2– पेरोकार सरकार – स्वयं उपस्थित

:: निर्णय :: दिनांक 04.09.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131,136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीया के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात वाके मौजा कोचवा प०ह० बडावली तहसील निम्बाहेडा की आराजी जिसके नये खाता संख्या 263 के आराजी नं0 948 रकबा 0.4900 हैक्टेयर भूमि स्थित है जिसके पुराने साबिक आराजी नं0 728/3ख रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा स्थित हैं। साक्ष्य मे नकल जमाबंदी व मिलान क्षेत्रफल पेश हैं।
2. वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी के खातेदारी कब्जे मे चली आ रही हैं उक्त आराजी के नई आराजी नं0 948 रकबा 0.4900 है[illegible] पुराने साबिक आराजी नं0 728/3ख रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा थे। उक्त आराजीयात पुराने नक्शा ट्रेस मे तरमीम नहीं थीं, परन्तु वर्तमान [illegible] राजस्व कर्मचारियों की गलती की वजह से मौके पर काबिज अनुसार प्रार्थी की आराजीयात [illegible] तरमीम नही किया हैं [illegible] की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात की [illegible] विपक्षीगण की आराजी[illegible] को दर्शा दिया है जबकि मौके पर वादग्रस्त भूमि पर विपक्षीगण का कोई कब्जा नहीं है विपक्षीगण का कब्जा अन्य जगह हैं, राजस्व कर्मचारियों की गलती की वजह से गलत रुप से दर्शा दिया गया है इसलिए नवीन नक्शा ट्रेस में प्रार्थी का मौके पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 16:00:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

काबिज अनुसार नवीन नक्षा ट्रेस व राजस्व रेकार्ड में तरमीम कर दुरुस्त किया जाना न्याहित में आवश्यक हैं।

3. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी का मौके पर काबिज अनुसार, नवीन राजस्व रेकार्ड एवं नवीन राजस्व नक्षा ट्रेस में प्रार्थी के नाम दर्ज कर, इन्द्राज दुरुस्त कर तरमीम किये जाने की कृपा करावें।

4. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया, विपक्षी को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया, विपक्षी संख्या 1 से 4 की और से अधिवक्ता श्री शम्भूलाल तेली ने वकालतनामा पेश कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तहसीलदार निम्बाहेडा से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किए जाने हेतु सहमति प्रदान की।विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा जवाब एवं अनुशंषा कर निवेदन किया कि मौजा कोचवा की आराजी नं. 946 रकबा 0.42 है० एवं आराजी नं. 948 रकबा 0.49 है0 में से 0.07 है० कुल 0.49 है० भूमि पर श्री मांगीलाल पिता नारायण धाकड कब्जा काश्त है। आराजी नं. 948 रकबा 0.49 है0 में से 0.42 है० भूमि पर श्री बंशीलाल, जगन्नाथ, डाली, नाराणी पिता दल्ला, बरजी पत्नि दल्ला भील के नाम दर्ज रिकार्ड है। भू प्रबन्ध के पूर्व नक्शे में तरमीम नहीं होने से वक्त भू प्रबन्ध में खातेदार श्री मांगीलाल पिता नारायण धाकड के कब्जा काश्त की भूमि को आराजी नं. 948 के बजाय 946 दर्ज कर दिया गया जिस कारण श्री मांगीलाल की जगह बंशीलाल वगैराह के आराजी नं. की तरमीम हो गई एवं बंशीलाल वगैराह की जगह श्री मांगीलाल धाकड की तरमीम हो गई।मौजा कोचवा की आराजी नं. 946 रकबा 0.42 है० एवं आराजी नं. 948 में से 0. 07 है० भूमि श्री मांगीलाल पिता नारायण धाकड के नाम एवं आराजी नं. 948 में से रकबा 0.42 है0 श्री बंशीलाल, जगन्नाथ, डाली, नाराणी पिता दल्ला, बरजी पत्नि दल्ला भील की तरमीम किया जाना रिकार्ड एवं मौके अनुसार नियमों के परिपेक्ष्य में किया जाना उचित है।

5. दोंनों पक्षों के अभिवचनों के आधार पर बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं तहसीलदार निम्बाहेड़ा से प्राप्त जांच रिपोर्ट एवं संशोधन प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं प्रार्थिया के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया।

6. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

136. Correction of errors. - The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:

Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 16:00:36 IST
Reason: SelfAttested

एवं

<u>धारा 131 में मानचित्र तथा क्षेत्रमिति (फील्ड बुक) का संधारण (Maintenance)</u> – सर्वेक्षण तथा अभिलेख कार्यवाहियों के समाप्त हो जाने के पश्चात् भू–अभिलेख

उपखण्ड अधिकारी

अधिकारी द्वारा व राज्य सरकार द्वारा इस विषय में बनाए गए नियमों के अनुसार मानचित्र तथा फील्ड बुक रखी जाएगी वह प्रतिवर्ष या ऐसे अधिक लम्बे समयान्तर पर जो राज्य सरकार निर्धारित कर प्रत्येक गाँव या गाँव के भाग, भू–सम्पत्ति या खेत की सीमाओं के सब परिवर्तनों को उसमें लेखा लेगा तथा ऐसी गलतियों को जो ऐसे मानचित्र या फील्ड बुक में की गई बतलाई जावे, सही करेगा।

7. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थियाद्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

8. दोनो पक्षो के अभिवचनो के आधार पर बहस उभयपक्ष सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थिया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों एवं दस्तावेजों के आधार पर संक्षिप्त सार यह है कि भू प्रबन्ध के पूर्व नक्शे में तरमीम नहीं होने से वक्त भू प्रबन्ध में खातेदार श्री मांगीलाल पिता नारायण धाकड के कब्जा काश्त की भूमि को आराजी नं. 948 के बजाय 946 दर्ज कर दिया गया जिस कारण श्री मांगीलाल की जगह बंशीलाल वगैराह के आराजी नं. की तरमीम हो गई एवं बंशीलाल वगैराह की जगह श्री मांगीलाल धाकड की तरमीम हो गई।मौजा कोचवा की आराजी नं. 946 रकबा 0.42 है० एवं आराजी नं. 948 में से 0.07 हैक्टेयर भूमि श्री मांगीलाल पिता नारायण धाकड के नाम एवं आराजी नं. 948 में से रकबा 0.42 हैक्टेयर श्री बंशीलाल, जगन्नाथ, डाली, नाराणी पिता दल्ला, बरजी पत्नि दल्ला भील की तरमीम किया जाना रिकार्ड एवं मौके अनुसार नियमों के परिपेक्ष्य में किया जाना उचित है।

आदेश

तहसीलदार निम्बाहेड़ा से मय अभिशंषा प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 भू0 राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम कोचवा पटवार हल्का बडावली तहसील निम्बाहेडा की की आराजी नं. 946 रकबा 0.42 है० एवं आराजी नं. 948 में से 0.07 हैक्टेयर भूमि श्री मांगीलाल पिता नारायण धाकड के नाम एवं आराजी नं. 948 में से रकबा 0.42 हैक्टेयर श्री बंशीलाल, जगन्नाथ, डाली, नाराणी पिता दल्ला, बरजी पत्नि दल्ला भील की तरमीम भूमि पर मौका कब्जा अनुसार प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा निर्णय अनुसार अमल दरामद करे। नक्शा ट्रेस निर्णय का अभिन्न रहेगा। तहसीलदार निम्बाहेडा निर्णय अनुसार प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार अमल दरामद करे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखील दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.09.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 16:00:36 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचोली)
उपखंड अधिकारी
निम्बाहेडा

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा